

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 28.9.18 को पेश हो।

रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

28/10

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 30.10.18 को पेश हो।


रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

30-10-18

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 15.1.19 को पेश हो।

रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

15-1-19 पत्रावली पेश हुई, वकील वादिया उपस्थित। तहसीलदार माण्डल से विभाजन प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। अतः विभाजन प्रस्ताव वास्ते पत्रावली दिनांक 31-1-19 को पेश हो।



31-1-19 पत्रावली पेश हुई, वकील वादिया उपस्थित, तहसीलदार माण्डल से पूर्व आदेश की पालना में विभाजन स्कीम प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली की गई, प्राप्त विभाजन स्कीम पर बहस करनी चाहिए। बहस सुनी गयी, बहस के दौरान वादिया ने प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादिया ने वाद पत्र स्वीकार किये जाने

FORM No. III  
फर्द अहकाम  
(नियम 28)

जब अदालत मुकदमा मुकाम  
नं. वनाम  
नं. सान्

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

की ईस्ट हुआ की।  
मैंने पत्रावली का आवलोकन किया तथा बहस पर  
ममन किया गया। न्यायहित में वादिया का वाद पत्र  
प्राप्त विभाजन स्कीम अनुसार स्वीकार किया जाकर  
डिफेंडेंट बहस वादिया विरुद्ध प्रतिवादिगण 1 लगायत 05 के  
इस आशय की जारी की जाती है। कि ग्राम हाथीपुरा  
परवार हल्का कबराडिया तहसील-भाण्डल जिला-मीलवाड़ा  
में स्थित निम्नोक्ति आराजियात वादिया एवं प्रतिवादि सं-  
01 से 05 के विभाजन अनुसार राजस्व-रेकार्ड में दर्ज  
किये जाने का आदेश दिया जाता है। उसी अनुसार भूमि  
विभाजन वादिया एवं प्रतिवादि सं-1 से 05 के माम हिस्से  
अनुसार राजस्व-रेकार्ड में दर्ज की जावे।

1. आत्म कवर, मिहु कवर पिता साज्जम सिंह राजपूत  
सा-देह खातेदार


आराजी सं.	रकबा	विस्म
359/2	0.17	बहरी

किता 01 रकबा 0.17 बहरी

2. कल्याण पिता अमरचंद 1/2, कैलाश, मुकेश पिता मैकलाल  
ना.वा.वि. सं.माता पानी, पानी पत्नी मैकलाल 1/2 गुजर  
सा-देह खातेदार

आराजी सं.	रकबा	विस्म
359/1	1.13	बहरी

किता 01 रकबा 1.13 बहरी


  
उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला मीलवाड़ा

FORM No. III  
फर्द अहकाम  
(नियम 28)

जब अदालत मुकदमा मुकाम  
नं. वनाम  
नं. सान्

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

उक्तानुसार भूमि वादीगण एवं प्रतिवादिगण के माम हिस्से  
अनुसार राजस्व-रेकार्ड में दर्ज की जावे। बहरी फरिद  
अपना-अपना कहन करे। तदनुसार डिफेंडेंट जारी से।  
पत्रावली फेराल नुमांर की जाकर दफ्तर देखिव हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला मीलवाड़ा